न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 02 / 2017	16—02—2017	16—05—2018

1— मु0 रामवती उम्र 60 साल बेवा श्री हरिराम पुत्रवधु श्री लालजी पुत्र भूरा जाति जाटव निवासी ग्राम सैदमपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0

2— चरणसिंह पुत्र हरिराम उम्र 32 साल पोत्र लालजी पुत्र भूरा

3—नेतराम पुत्र हरिराम उम्र 30 साल पोत्र लालजी पुत्र भूरा

4—राहिताश पुत्र हरिराम उम्र 26 साल पोत्र लालजी पुत्र भूरा

5— आकाश पुत्र श्री हरिराम उम्र 24 साल पोत्र लालजी पुत्र भूरा जातियान जाटव निवासीयान ग्राम सैदमपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक लालजी पुत्र भूरा अलोटी

अपीलान्टस

बनाम

1—श्रीमान तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ का आदेश संख्या 664 दिनांक 14.10.1987 ग्राम दोडोली तहसील लक्ष्मणगढ, हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश चन्द सतीजा —वकील अपीलान्टस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर लक्षमणगढ का आदेश संख्या 664 दिनांक 14.10.1987 ग्राम दोडोली तहसील लक्ष्मणगढ, हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दोडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ के साबिक खसरा न0 2 रकबा 78 बीघा 3 बिस्वा, 3 रकबा 7 बिस्वा, 4 रकबा 7 बिस्वा, 12 रकबा 5 बिस्वा, 70 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 75 रकबा 16 बिस्वा, 76 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा, 175 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की किस्म चारागाह से सिवायचक सक्षम अधिकारी के आदेश से की जाकर सिवायचक आराजी का इन्तकाल संख्या 18 दर्ज व स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा न0 2 रकबा 78 बीघा 3 बिस्वा, 3 रकबा 7 बिस्वा, 4 रकबा 7 बिस्वा, 12 रकबा 5 बिस्वा, 70 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 75 रकबा 16 बिस्वा, 76 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा, 175 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दोडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ सिवायचक आराजी का आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26.09. 1975 को नियमानुसार असहाय, गरीब, अनु0 जाति के व्यक्तियों को मिन अपीलान्ट के दादा व ससुर लालजी पुत्र भूरा जाति जाटव के साथ अन्य 43 व्यक्तियों मुकन्दी पुत्र मानसिंह, छुटना पुत्र भोला, चन्दर पुत्र गूंगा, चिंरजी पुत्र दुरानी, हरबक्सा पुत्र गूंगाराम, रमजू पुत्र हरिया, मामराज पुत्र हरजी, रामलाल पुत्र गूंगा, प्रभाती पुत्र मनफूल, रामकिशन पुत्र मंगली, कन्हैयालाल पुत्र भोबला, सामन्ता पुत्र तोता, मंगल पुत्र भुल्लू, प्रभाती पुत्री भुल्लू लीला पुत्र सगरू, रतना पुत्र भोबला, घासी पुत्र सूबा, मुरली पुत्र माकड, जगराम पुत्र प्रभाती, मंगू पुत्र गिरलाल, रामजीलाल पुत्र छुटना, चेतू

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

पुत्र छुटना, छुटना पुत्र जीमणा, गोरखी पुत्र भूरा, प्रभाती पुत्र मंगला, मवासी पुत्र मंगला, गोन्दाल पुत्र खैराती, भुल्लू पुत्र बिस्सू, जुम्मा पुत्र भोबला, भोरिया, किशन, महासिंह, अमरसिंह पुत्रान हरिया, मंगतू पुत्र जंगला व अन्य व्यक्तियों को प्रत्येक को 1/43 हिस्सा आंवटन किया गया था तथा मौके पर आंवटन सुदा आराजी का कब्जा दे दिया था जमाबन्दी में भी अंकन आ गया था। तभी से आंवटी व उनके वारिसान काबिज है। सिद्वान्तो के विपरित एक पक्षीय तरीके से इन्तकाल संख्या 346 के जरिये आंवटन सुदा आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 08.02.2017 को हुई, जिसकी लेने हेतु आवेदन किया, जिसमें जाहिर किया कि उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है लेकिन उक्त आदेश से जो इन्तकाल दर्ज हुआ उसकी नकल प्राप्त की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र दफा 5 पेश किया गया। उक्त आलोच्य आदेश क्षेत्राधिकार से परे पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट को विवादित आराजी से बेदखल करना अथवा आबंटन को निरस्त करने का अधिकार नहीं था क्योंकि विवादित आराजी का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था। आराजी सिवायचक सरकार थी ना कि कस्टोडियन। इस स्थिति में तहसीलदार कम मेनेजिंग ऑफिसर को उक्त बाबत किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी की कीमत जमा न कराने को आधार बनाकर आवंटन निरस्त किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। आवंटनशुदा आराजी पर आज भी अपीलान्ट का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह राज्य सरकार के द्वारा बनायी गयी नीतियो के विपरीत आज्ञा पारित कर आवंटन को निरस्त किया गया है जिस कारण उक्त आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट के अलावा जो कुल 43 मूल आवंटीयों में से 4 अन्य आवंटी प्रभाती पुत्र मानसिंह, सरूपा पुत्र मंगला, पांच्या पुत्र मवासी, धमण्डी पुत्र ठण्डी को दिनांक 26.09.1975 के आवंटन के आधार पर ही आवंटनशुदा आराजी की खातेदारी दी गई है, ऐसी सूरत में आलोच्य आदेश किसी भी दृष्टि से वैध आदेश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कम मेनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ दिनांक 14.10.1987 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के बुजुर्गान के आवंटन को बदस्तूर कायम रखा जावे।

रेस्पॉडेन्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ हाल गोविन्दगढ से इस आश्य की रिपोर्ट ली गई कि अपीलान्ट के अलावा शेष प्रार्थियों को सनद पट्टा किस आधार पर जारी किया गया तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में पूर्व के निर्णय दिनांक 30.03.2016 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आदेश जारी किये गये थे, कि तहसीलदार कम मनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ हाल गोविन्दगढ के आदेश संख्या 664 दिनांक 14.10.1987 ग्राम दोडोली निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का प्रकरणवार परीक्षण करें। यदि प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृर्षि भूमियों का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के नियम 5–ए (2) के प्रावधानो के अन्तर्गत राहत योग्य पाये जावें तो प्रार्थीगण के आवेदन पर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से नियमानुसार बकाया राशि एवं शास्ति जमा करवाकर आवंटनों को पुर्नवैध करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेशों की पालना में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को प्रेषित किये गये। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति के निर्णय दिनांक 02.01.2017 में तहसीलदार कम मेनेजिंग ऑफिसर के आदेश संख्या 664 दिनांक 14.10.1987 वाके ग्राम सैदमपुर एवं दोडोली को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गोविन्दगढ को प्रकरण नियमन/आवंटन पुर्नवैध पाये जाने पर नियमानुसार बकाया राशि एवं शास्ति जमा कराने पर कमेटी द्वारा पुर्नवैध धोषित किया जाता है, का निर्णय दिया गया। उक्त आदेशों की अनुपालना में प्रार्थियान द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर सनद पट्टे जारी किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील ओदश दिनांक 14.10.1987 के विरूद्ध दिनांक 16.02.2017 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब 30 वर्ष विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में मुख्य तर्क यह उठाया है कि विवादित आराजी सिवायचक आवंटनशुदा आराजी है। आराजी आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26.09.1975 को नियमानुसार असहाय गरीब अनुसुचित जाति के 43 व्यक्तियों को एक साथ आवंटित की गई थी जिनमें अपीलान्ट के दादा व ससुर लालजी पुत्र भूरा जाति जाटव भी शामिल थे। मूल आवंटीयों में से चार आवंटी प्रभाती पुत्र मानसिंह, सरूपा पुत्र मंगला, पांच्या पुत्र मवासी, घमण्डी पुत्र ठण्डी को दिनांक 26.09.1975 के आधार पर ही आंवटनशुदा आराजी की खातेदारी दे दी गई तथा 36 व्यक्तियों को न्यायालय हाजा के पूर्व रिमाण्ड आदेश दिनांक 30.03.2016 के आधार पर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ एवं सलाहकार समिति के निर्णय आदेश क्रमांक 5202 दिनांक 30.01.2017 की पालना में तहसीलदार गोविन्दगढ़ द्वारा दिनांक 15.05.2017 को सनद पट्टे जारी किये गये। जहा तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाधीन आलोच्य आदेश की पुष्टी में परोकार सरकार/तहसीलदार लक्ष्मणगढ हाल गोविन्दगढ से उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, यहॉ यह जॉच करना आवश्यक है कि आवंटन से पूर्व उक्त विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकॉर्ड थी। चारागाह से सिवायचक दर्ज की गयी फिर आवंटियों को आवंटित की गयी तथा फिर वापस सिवायचक दर्ज कर दी गई।

अतः तहसीलदार तथा मैनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ के आदेश संख्या 664 दिनांक 14.10.1987 ग्राम दौडोली तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त संबंध में जॉच करें यदि प्रकरण विधिसम्मत पाया जाता है तो अपीलान्ट से नियमानुसार फीस व शास्ती जमा करवाकर आवंटन की कार्यवाही उपखण्ड स्तरीय आवटन कमेटी के माध्यम से नियमानुसार करावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)